<u>2022 का विधेयक सं.17</u>

राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया जायेगा)

राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता हैः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2022 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 की धारा 28 का संशोधन.- राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 (2002 का अधिनियम सं. 16) की धारा 28 की विद्यमान उप-धारा (7-क) हटायी जायेगी।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 (2002 का अधिनियम सं. 16) की धारा 28 की विद्यमान उप-धारा (7-क) यह उपबंध करती है कि कोई भी व्यक्ति समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए पात्र नहीं होगा, यदि वह राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम सं. 11) के प्रारंभ के पश्चात् उसी सोसाइटी की समिति के सदस्य के रूप में लगातार दो बार के लिए निर्वाचित या सहयोजित किया जा चुका है, जब तक कि ऐसी समिति के सदस्य के रूप में उसका दूसरा कार्यकाल समाप्त होने की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि व्यतीत नहीं हो चुकी है।

यह महसूस किया गया है कि समिति के दक्ष कार्यकरण के लिए लम्बी सेवा वाले और अनुभवी सदस्य की भागीदारी आवश्यक है। इसलिए यह प्रस्तावित है कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 28 की विद्यमान उप-धारा (7-क) हटायी जाये।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

आंजना उदयलाल,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 (2002 का अधिनियम सं. 16) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX XX

28. समितियों की सदस्यता इत्यादि के लिए निरर्हता.- (1) से (7) XX XX

(7-क) कोई भी व्यक्ति समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए पात्र नहीं होगा, यदि वह राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम सं. 11) के प्रारंभ के पश्चात् उसी सोसाइटी की समिति के सदस्य के रूप में लगातार दो बार के लिए निर्वाचित या सहयोजित किया जा चुका है, जब तक कि ऐसी समिति के सदस्य के रूप में उसका दूसरा कार्यकाल समाप्त होने की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि व्यतीत नहीं हो चुकी है:

परन्तु समिति के लिए एक बार निर्वाचित या सहयोजित समिति के सदस्य को इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए उसका पूर्ण कार्यकाल पूरा किया हुआ समझा जायेगा, यहां तक कि यदि उसे पांच वर्ष के पूर्ण कार्यकाल के लिए निर्वाचित या सहयोजित नहीं किया गया था या अपने पद का कार्यकाल, चाहे किसी भी कारण से, पूरा नहीं किया है।

(8) से (13) XX XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX XX

Bill No.17 of 2022

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) BILL, 2022

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Co-operative Societies Act, 2001.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-third Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Co-operative Societies (Amendment) Act, 2022.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 28, Rajasthan Act No. 16 of 2002.- The existing sub-section (7-A) of section 28 of the Rajasthan Co-operative Societies Act, 2001 (Act No. 16 of 2002) shall be deleted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Existing sub-section (7-A) of section 28 of the Rajasthan Co-operative Societies Act, 2001 (Act No. 16 of 2002) provides that no person shall be eligible for election as a member of a committee, if he has been elected or co-opted to be a member of the committee of the same society in continuation for two times after the commencement of the Rajasthan Co-operative Societies (Amendment) Act, 2016 (Act No. 11 of 2016), unless a period of five years from the date of expiry of his second term as the member of such committee has elapsed.

It has been felt that the participation of long serving and experienced member is necessary for the efficient working of a committee. Therefore, it is proposed that the existing sub-section (7-A) of section 28 of the Rajasthan Co-operative Societies Act, 2001 be deleted.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objective.

Hence the Bill.

आंजना उदयलाल,
Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN CO-OPERATIVE SOCIETIES ACT, 2001

(Act No. 16 of 2002)

XX XX XX XX XX

28. Disqualification of membership etc. of committees.- (1) to (7) xx xx xx xx xx xx xx

(7-A) No person shall be eligible for election as a member of a committee, if he has been elected or co-opted to be a member of the committee of the same society in continuation for two times after the commencement of the Rajasthan Co-operative Societies (Amendment) Act, 2016 (Act No. 11 of 2016), unless a period of five years from the date of expiry of his second term as the member of such committee has elapsed:

Provided that a member of a committee once elected or co-opted to the committee shall be deemed to have completed his full term for the purpose of this sub-section, even if he was not elected or co-opted for a full term of five years or has not completed his term of office for any reason whatsoever it may be.

(8) to (13) xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX

<u>Bill No. 17 of 2022</u>

THE RAJASTHAN CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) BILL, 2022

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Rajasthan Co-operative Societies Act, 2001.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

MAHAVEER PRASAD SHARMA,
Secretary.

(Anjana Udailal, **Minister-Incharge**)

2022 का विधेयक सं.17

राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

महावीर प्रसाद शर्मा,

सचिव।

(आंजना उदयलाल, **प्रभारी मंत्री**)